राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1547/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
भगवान सहाय सांखला संस्कृत कॉलेज के पास] कालाडेरा], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) प्रभारी अधिकारी सर्तकता कलेक्टर परिसर, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मनोज सिंह, कनिष्ट सहायक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 26-07-2017 के द्वारा जन अभाव निराकरण विभाग जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 16-12-2015 पर की गई कार्यवाही से संबंधित 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी को वांछित सूचना के लिए पत्र दिनांक 03-08-2017 से 18 रूपये की मांग की गई, जमा नहीं कराने पर पुनः स्मरण पत्र दिनांक 27-10-2017 जारी किया गया। अपीलार्थी ने यह शुल्क जमा नहीं कराया है। जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 07-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 3-8-2017, 27-10-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में यदि अपीलार्थी शुल्क जमा करादे तो पर वांछित सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त